



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102025-266734  
CG-DL-E-07102025-266734

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2025/आश्विन 8, 1947

No. 299]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2025/ASVINA 8, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2025

मामला सं. – (एसजी)-01/2025

**विषय:** भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी करार के तहत "डायोक्टाइल टेरैफ्थैलेट (डीओटीपी) और डायथाइलहेक्सिल साइक्लोहेक्सेन (डीईएचसीएच) के रूप में गैर-फ्थैलेट प्लास्टिसाइज़र" के आयात के संबंध में द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच की शुरूआत।

**फा. सं. 22/01/2025-डीजीटीआर.**—भारत और कोरिया गणराज्य के बीच हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक भागीदारी करार ("सीईपीए") और भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय) नियमावली, 2017 (जिसे आगे "द्विपक्षीय रक्षोपाय नियमावली" या "नियमावली" भी कहा गया है) के तहत केएलजे प्लास्टिसाइज़र लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" कहा गया है) द्वारा एक आवेदन-पत्र दायर किया गया है, जिसमें कोरिया गणराज्य (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) से डायोक्टाइल टेरैफ्थैलेट (डीओटीपी) और डायथाइलहेक्सिल साइक्लोहेक्सेन (डीईएचसीएच) (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) के रूप में नॉन-फ्थैलेट प्लास्टिसाइज़र के आयात पर लागू सीमा शुल्क के संबंध में दी गई रियायतों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग की गई है।

### विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

1. विचाराधीन उत्पाद डायोक्टाइल टेरैफ्थैलेट (डीओटीपी) और डायथाइलहेक्सिल साइक्लोहेक्सेन (डीईएचसीएच) के रूप में नॉन-फ्थैलेट प्लास्टिसाइज़र है। डायोक्टाइल टेरैफ्थैलेट को डीआई-(2-एथिलहेक्सिल) 1,4 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलेट या डीओटीपी के नाम से भी जाना जाता है। डायथाइलहेक्सिल साइक्लोहेक्सेन को बिस(2-एथिलहेक्सिल) साइक्लोहेक्सेन-1,4-डाइकार्बोक्सिलेट या डीईएचसीएच के नाम से भी जाना जाता है। डीओटीपी एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र  $\text{C}_{24}\text{H}_{38}\text{O}_4$  है। इस उत्पाद की पहचान सीएस संख्या 6422-86-2 से की जा सकती है। यह टेरैफ्थैलिक अम्ल और शाखित-शृंखला 2-एथिलहेक्सेनॉल का एक डाइएस्टर है। डीईएचसीएच, जिसका रासायनिक सूत्र  $\text{C}_{24}\text{H}_{44}\text{O}_4$  है, की पहचान सीएस संख्या 84731-70-4 से की जा सकती है। यह डीओटीपी का हाइड्रोजनीकृत रूप है।
2. गैर-फ्थैलेट प्लास्टिसाइज़र कई प्रकार के होते हैं जैसे डायोक्टाइल टेरैफ्थैलेट, डायएथिलहेक्सिल साइक्लोहेक्सेन, डायसोनोनिल साइक्लोहेक्सेन-1,2-डाइकार्बोक्साइलेट (डीआईएनसीएच), डाइबेंजोएट्स और आइसोसोर्बाइड डाइएस्टर आदि। हालाँकि, उत्पाद के क्षेत्र में केवल दो प्रकार के गैर-फ्थैलेट प्लास्टिसाइज़र शामिल हैं, अर्थात् डायोक्टाइल टेरैफ्थैलेट (डीओटीपी) और डायएथिलहेक्सिल साइक्लोहेक्सेन (डीईएचसीएच) हैं।
3. विचाराधीन उत्पाद एक रंगहीन चिपचिपा तरल है जिसमें अच्छे प्लास्टिसाइजिंग गुण होते हैं और इसका उपयोग फ्थैलेट-आधारित प्लास्टिसाइज़र, जैसे डायएथिलहेक्सिल फ्थैलेट और डायसोनोनिल फ्थैलेट के विकल्प के रूप में किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद का उपयोग पीवीसी के लिए प्लास्टिसाइज़र के रूप में और अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला में ऑर्थो-फ्थैलेट्स के प्रतिस्थापन के रूप में किया जाता है। प्लास्टिसाइज़र मिलाने से, पीवीसी यौगिक लचीले हो जाते हैं और तार व केबल इन्सुलेशन, छत की झिल्लियों, खिलौनों, चिकित्सा उपकरणों, साथ ही खाद्य पैकेजिंग और प्रसंस्करण में प्रयुक्त उत्पादों के लिए उपयुक्त हो जाते हैं। विचाराधीन उत्पाद का उपयोग पेंट और वार्निश उद्योग में और उच्च तापमान वाले केबल, ऑटोमोटिव प्लास्टिक पुर्जों और लेदरेट के उत्पादन में भी किया जाता है। इसका उपयोग कैलेंडरिंग प्रक्रिया में कागज़ की फिनिशिंग, एक्सट्रूज़न, मोल्डिंग, कोटिंग और कई स्याही अनुप्रयोगों में भी किया जाता है, साथ ही बालों की देखभाल के उत्पादों के लिए लेटेक्स रचनाओं में उपयोग के लिए पेटेंट भी प्राप्त है।
4. डायोक्टाइल टेरैफ्थैलेट एक एस्टरीफिकेशन अभिक्रिया से निर्मित होता है जिसमें शुद्ध टेरैफ्थैलिक अम्ल और 2-एथिल हेक्सेनॉल को उत्प्रेरक की मौजूदगी में एक रिएक्टर में हिलाते हुए गर्म किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जल उत्पन्न होता है और उसे पृथक् किया जाता है, जो द्रव्यमान को उदासीन कर देता है। अतिरिक्त जल को निकालने के बाद अभिक्रिया द्रव्यमान उदासीन हो जाता है। इस उदासीनीकरण के बाद, परिणामी यौगिक से साबुन को अलग कर दिया जाता है और यौगिक को अलग कर दिया जाता है जिससे अतिरिक्त अल्कोहल निकल जाता है। इसके बाद, नमी हटाने के लिए यौगिक को सुखाया जाता है। इसके बाद, यौगिक की चमक बढ़ाने के लिए कार्बन उपचार किया जाता है और अंत में, यौगिक को छान लिया जाता है। जब यौगिक से छना हुआ केक निकाल दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया का परिणाम डायोक्टाइल टेरैफ्थैलेट होता है।
5. डीईएचसीएच का निर्माण एक उच्च-दाब हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा किया जाता है जिसमें शुद्ध डायोक्टाइल टेरैफ्थैलेट को एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक रिएक्टर में हिलाया और हाइड्रोजनीकृत किया जाता है। परिणामी अभिक्रिया द्रव्यमान को छानकर उत्प्रेरक को अलग किया जाता है, जिसे फिर अगले बैच में पुनः उपयोग के लिए एकत्र किया जाता है। छाने हुए पदार्थ को डाइएथिलहेक्सिल साइक्लोहेक्सेन कहते हैं।
6. गैर-फ्थैलेट प्लास्टिसाइज़र में विचाराधीन उत्पाद डीओटीपी और डीईएचसीएच के रूप में है। डीओटीपी और डीईएचसीएच के रूप में गैर-फ्थैलेट प्लास्टिसाइज़र घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए गए हैं और जाँच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयात किए गए हैं। डीओटीपी और डीईएचसीएच की विशेषताएँ तुलनीय हैं और ये एक-दूसरे से सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं। डीओटीपी और डीईएचसीएच विभिन्न अनुप्रयोगों में आसानी से प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं और भारत में समान प्रयोक्ताओं द्वारा परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं।
7. घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित और संबद्ध देश से आयातित उत्पादों में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये सामान भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, प्रकार्यों एवं प्रयोगों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन, तथा सामानों के प्रशुल्क

वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान उन सामानों की समान वस्तु हैं जो संबद्ध देश से आयात किए जाते हैं।

8. विचाराधीन उत्पाद अध्याय 29 के अंतर्गत कार्बनिक रसायन की श्रेणी में आता है और प्रशुल्क कोड 2917 20 00 और 2917 39 20 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं। तथापि, ये सामान 2917 13 90, 2917 32 00, 2917 33 00, 2917 39 30, 2917 39 50 और 2917 39 90 के अंतर्गत भी आयात किए जाते हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं हैं।

#### घरेलू उद्योग और आधार

9. यह आवेदन-पत्र केएलजे प्लास्टिसाइज़र्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक के अलावा, भारत में समान वस्तु के अन्य घरेलू उत्पादक भी हैं, अर्थात् पायल पॉलीप्लास्ट लिमिटेड, पायल प्लास्टिकेम प्राइवेट लिमिटेड और रचना प्लास्टिसाइज़र्स। आवेदक ने अनुरोध किया है कि मार्वल विनाइल्स लिमिटेड और विनाइल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नामक दो अन्य कंपनियां भी हैं, जो इस उत्पाद की प्रमुख आयातक हैं, लेकिन भारत में समान वस्तुओं का कम मात्रा में उत्पादन कर सकती हैं।
10. इस आवेदन-पत्र का समर्थन पायल पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड और पायल प्लास्टिकेम प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। प्रदान की गई सूचना के आधार पर, आवेदक का भारत में समान अथवा सीधे ही प्रतिस्पर्धी सामानों के कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। तदनुसार, आवेदक द्विपक्षीय रक्षोपाय नियमावली के नियम 2(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत घरेलू उद्योग है।

#### जाँच की अवधि

11. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए मानी गई अवधि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2025 है। प्राधिकारी ने 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 को सबसे हालिया अवधि माना है।

#### संबद्ध देश

12. वर्तमान जांच में शामिल देश कोरिया गणराज्य ("कोरिया गणराज्य") है।

#### संबद्ध आयातों में वृद्धि

13. आवेदक ने दावा किया है कि कोरिया गणराज्य के मूल के आयात विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर सीमा शुल्क की समाप्ति और चरणबद्ध रूप से कमी के कारण, पूर्ण दृष्टि से और घरेलू उत्पादन के संबंध में वृद्धि हुई है। संबद्ध देश से आयातों में ऐसी परिस्थितियों में वृद्धि हुई है कि उक्त आयातों से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है। संबद्ध सामानों के आयातों में वृद्धि की दर, संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि की दर से अधिक है।

#### घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति

14. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है। कोरिया गणराज्य से आयातों में निरपेक्ष रूप से और भारतीय उत्पादन के सापेक्ष वृद्धि हुई है। आयातों में यह वृद्धि, मांग में वृद्धि से अधिक है। संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं और घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम कीमतों पर भारत में प्रवेश कर रहे हैं। संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर दिया है। विचाराधीन अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का निष्पादन खराब हुआ है। हाल की अवधि में, घरेलू उद्योग को घाटा हुआ है, नकद घाटा हुआ है और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय हुई है।
15. प्राधिकारी यह पाते हैं कि इस बात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात में निरपेक्ष और सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है, जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है, और आयात में वृद्धि और घरेलू उद्योग को हुई गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क है।

#### द्विपक्षीय रक्षोपाय की शुरुआत

16. यह निर्धारित करने के बाद कि रक्षोपाय जांच शुरू करने को उचित ठहराने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, प्राधिकारी यह निर्धारित करने के लिए जांच शुरू करना उचित समझते हैं कि क्या कोरिया गणराज्य से

विचाराधीन उत्पाद के आयात, विचाराधीन उत्पाद के आयात पर सीमा शुल्क में चरणबद्ध कटौती और उन्मूलन के कारण बड़े हुए आयात हैं और क्या बड़े हुए आयातों से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है या होने का खतरा है।

### सूचना प्रस्तुत करना

17. भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय) नियमावली के नियम 5(4) के अनुसार, इस अधिसूचना की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्राधिकारी को सभी पत्र निम्नलिखित ईमेल पतों [jd11-dgtr@gov.in](mailto:jd11-dgtr@gov.in); [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in); [dir16-dgtr@gov.in](mailto:dir16-dgtr@gov.in); और [consultant-dgtr@nic.in](mailto:consultant-dgtr@nic.in) पर ईमेल द्वारा भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का विस्तृत भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस वर्क प्रारूप में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस एक्सेल प्रारूप में हों।
18. तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियमावली के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना और अन्य दस्तावेजों के लिए आमंत्रण सूचना प्राधिकारी द्वारा भेजे जाने या कोरिया गणराज्य के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त मानी जाएगी। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अपूर्ण है, तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपना निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।
19. जांच में रुचि रखने वाले पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे तत्काल जांच में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) सूचित करें और ऊपर निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली का उत्तर/अनुरोध दायर करें।
20. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के साथ-साथ जांच से संबंधित आगे की प्रक्रियाओं के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय (<http://www.dgtr.gov.in>) की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से देखते रहें।
21. सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित स्वरूप और तरीके से संगत सूचना दायर कर सकें। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी ऊपर निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर निर्धारित स्वरूप और तरीके से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले या गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले किसी भी पक्षकार को उसका एक अगोपनीय रूपांतर भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता है। प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तर सहित कोई भी अनुरोध (उसके साथ संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर अलग अलग दायर करना आवश्यक है।
23. “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” अनुरोधों में प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” स्पष्ट रूप से चिह्नित होने चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे चिन्हों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध “अगोपनीय” सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी उन अनुरोधों का निरीक्षण करने के लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
24. गोपनीय रूपांतर में वह सभी सूचना शामिल होगी जो स्वभावतः गोपनीय है और/या अन्य सूचना जिसे ऐसी सूचना का प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना जिसके स्वभावतः गोपनीय होने का दावा किया जाता है या जिस सूचना की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया जाता है, उसके लिए सूचना प्रदाता को दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।
25. अगोपनीय रूपांतर गोपनीय रूपांतर की एक प्रति होनी चाहिए जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध अथवा ब्लैकड आउट (यदि सूचीकरण संभव न हो) और उस सूचना के आधार पर संक्षेपित किया गया हो जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।
26. अगोपनीय सार में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार

यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, और प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए सारांशीकरण संभव न होने के कारणों का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए। यदि कोई हितबद्ध पक्षकार गोपनीयता के दावे से संतुष्ट नहीं है, तो वह दस्तावेजों के अगोपनीय रूपांतर प्राप्त होने के सात (7) दिनों के भीतर दावे पर आपत्ति दर्ज करा सकता है।

27. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकते हैं।
28. गोपनीयता के दावे पर सार्थक अगोपनीय रूपांतर के बिना या उचित कारण विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
29. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट और स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

#### सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण

30. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, साथ ही उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध/उत्तर/सूचना का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। अनुरोध/उत्तर/सूचना का अगोपनीय रूपांतर परिचालित करने में विफलता से हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

#### असहयोग

31. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना तक पहुँच से इनकार करता है, या उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, या जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जो वे उचित समझे।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

#### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

#### INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2025

Case No. (SG) – 01/2025

**Subject: Initiation of Bilateral Safeguard Investigation concerning imports of “Non-Phthalate Plasticizers in the form of Dioctyl Terephthalate (DOTP) and Diethylhexyl Cyclohexane (DEHCH)” under the India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement.**

**F. No. 22/01/2025-DGTR.**--An application has been filed under the Comprehensive Economic Partnership Agreement (“CEPA”) signed between India and Korea RP, and India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 (hereinafter also referred to as the “Bilateral Safeguard Rules” or the “Rules”) by KLJ Plasticizers Limited (hereinafter also referred to as the “applicant”) seeking complete withdrawal of the concessions given with regard to Customs duty applicable on imports of Non-phthalate Plasticizers in the form of Dioctyl Terephthalate (DOTP) and Diethylhexyl Cyclohexane (DEHCH) (hereinafter also referred to as

the “product under consideration” or the “subject goods”) from Korea RP (hereinafter referred to as the “subject country”).

**A. Product under Consideration and like article**

1. The product under consideration is Non-Phthalate Plasticisers in the form of Dioctyl Terephthalate (DOTP) and Diethylhexyl cyclohexane (DEHCH). Dioctyl Terephthalate is also known as Di-(2-ethylhexyl) 1,4 benzene di carboxylate or DOTP. Diethylhexyl cyclohexane is also known as Bis(2-ethylhexyl) cyclohexane-1,4-dicarboxylate or DEHCH. DOTP is an organic compound with the chemical formula  $C_{24}H_{38}O_4$ . The product can be identified by the CAS No. 6422-86-2. It is a diester of terephthalic acid and the branched-chain 2-ethylhexanol. DEHCH, having the chemical formula of  $C_{24}H_{44}O_4$ , can be identified by the CAS No. 84731-70-4. It is a hydrogenated form of DOTP.
2. Non-phthalate plasticisers are of several types such as Dioctyl Terephthalate, Diethylhexyl cyclohexane, Diisononyl cyclohexane-1,2-dicarboxylate (DINCH), Dibenzoates and Isosorbide diesters etc., However, only two types of non-phthalate plasticizers are included in the product scope, namely Dioctyl Terephthalate (DOTP) and Diethylhexyl cyclohexane (DEHCH).
3. The product under consideration is a colourless viscous liquid which possesses good plasticizing properties and is used as alternative to phthalate-based plasticizers, such as, diethylhexyl phthalate and diisononyl phthalate. The product under consideration is used as a plasticizer for PVC, and as a replacement for ortho-phthalates in a wide range of applications. With the addition of plasticizers, PVC compounds become flexible and become suitable for use as wire and cable insulation, roofing membranes, toys, medical devices, as well as for products used in food packaging and processing. The product under consideration is also used in the paints and varnishes industry and for production of high-temperature cables, automotive plastic parts and leatherette. It is also used in paper finishing in the calendaring process and in extrusion, moulding, coatings and several ink applications as well as being patented for use in latex compositions for hair care products.
4. Dioctyl terephthalate is manufactured from an esterification reaction wherein purified terephthalic acid and 2-Ethyl Hexanol, in presence of a catalyst are heated in a reactor while stirring. Water is generated and separated during the production process, which neutralises the mass. The reaction mass is neutralized after the removal of the excess water. After such neutralisation, the soap is removed from the resultant compound, and the compound is stripped resulting in the removal of all excess alcohol. Thereafter, the compound is dried for the removal of moisture. Next, the compound is carbon treated in order to improve the glossiness of the same and finally, the compound is filtered. Once the filtered cake is removed from the compound, the result of the process is Dioctyl Terephthalate.
5. DEHCH is manufactured through a high-pressure hydrogenation process wherein pure Dioctyl Terephthalate, in the presence of a catalyst, is stirred and hydrogenated in a reactor. The resultant reaction mass is filtered to separate the catalyst, which is then collected for reuse in the next batch. The filtered material is known as Diethylhexyl cyclohexane.
6. The product under consideration in Non-Phthalate Plasticisers in form of DOTP and DEHCH. Non-Phthalate Plasticizers in form of DOTP and DEHCH have been produced by the domestic industry and imported from the subject country during the period of investigation. DOTP and DEHCH have comparable characteristics, and directly compete with each other. DOTP and DEHCH are easily substitutable in different applications, and are used interchangeably by the same users in India.
7. There are no known differences in products manufactured by the domestic industry and that imported from the subject country. The goods are comparable in terms of physical & chemical characteristics, functions & uses, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and

commercially substitutable. The subject goods produced by the domestic industry is a like article to the goods that is imported from subject country.

8. The product under consideration falls under the category of organic chemicals under Chapter 29 and is classifiable under tariff code 2917 20 00 and 2917 39 20. However, the goods are also imported under 2917 13 90, 2917 32 00, 2917 33 00, 2917 39 30, 2917 39 50 and 2917 39 90. The Customs classification is indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

#### **B. Domestic industry and standing**

9. The application has been filed by KLJ Plasticizers Limited. In addition to the applicant, there are other domestic producers of the like article in India, namely, Payal Polyplast Limited, Payal Plasticchem Private Limited and Rachna Plasticizers. The applicant has submitted that there are two other entities, namely, Marvel Vinyls Limited and Vinyl Products Private Limited which are major importers of the product but may be engaged in production of small quantities of like articles in India.
10. The application has been supported by Payal Polyplast Private Limited and Payal Plasticchem Private Limited. Based on the information provided, the applicant constitutes a major proportion of the total domestic production of the like or directly competitive goods in India. Accordingly, the applicant constitutes domestic industry under the provisions of Rule 2(1)(b) of the Bilateral Safeguard Rules.

#### **C. Period of investigation**

11. The period considered for the purpose of the present investigation is 1<sup>st</sup> April 2021 to 31<sup>st</sup> March 2025. The Authority has considered 1<sup>st</sup> April 2024 to 31<sup>st</sup> March 2025 as the most recent period.

#### **D. Subject country**

12. The country involved in the present investigation is Republic of Korea ("Korea RP").

#### **E. Increase in Subject Imports**

13. The applicant has claimed that imports originating from Korea RP have increased in both absolute terms and relative to domestic production, due to the phased reduction and elimination of custom duty on imports of the product under consideration. The imports from the subject country have increased under such conditions that the said imports have caused serious injury to the domestic industry. The rate of increase in imports of subject goods is higher than the increase in rate of demand for the subject goods.

#### **F. Serious Injury to the domestic industry**

14. The applicant has claimed that the increase in imports from subject country has caused serious injury to the domestic industry. The imports from Korea RP have increased in absolute terms and in relation to Indian production. Such increase in imports is more than the increase in demand. The subject imports are undercutting the prices of the domestic industry and have entered India at prices below the cost of sales of the domestic industry. The subject imports have depressed the prices of the domestic industry. The performance of the domestic industry has deteriorated during the period considered. In the most recent period, the domestic industry has incurred losses, cash losses and negative return on capital employed.
15. The Authority finds that there is prima facie evidence that the imports of the product under consideration from the subject country have increased in absolute and relative terms, causing serious injury to the domestic industry, and there is causal link between increased imports and serious injury caused to the domestic industry.

#### **G. Initiation of Bilateral Safeguard measures**

16. Having determined that there is sufficient prima facie evidence to justify initiation of the safeguard investigation, the Authority considers it appropriate to initiate the investigation in order to determine whether the imports of the product under consideration from Korea RP constitute increased imports due to the phased

reduction and elimination of custom duty on imports of the product under consideration and whether the increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to the domestic industry.

#### **H. Submission of information**

17. All communication should be sent to the Authority via email at the email addresses [jd11-dgtr@gov.in](mailto:jd11-dgtr@gov.in), [adv13dgtr@gov.in](mailto:adv13dgtr@gov.in), [dir16-dgtr@gov.in](mailto:dir16-dgtr@gov.in) and [consultant-dgtr@nic.in](mailto:consultant-dgtr@nic.in) within 30 days from the date of this notification as per Rule 5(4) of the India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Word format and data files are in MS Excel format.
18. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rules, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of Korea RP. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its finding on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
19. Parties interested in the investigation are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant investigation and file their questionnaire response/submissions within the time limit specified above.
20. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<http://www.dgtr.gov.in>) for any updated information with respect to this investigation as well as further processes related to the investigation.
21. All known interested parties are being informed separately to enable them to file the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit specified. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit specified above.
22. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/ submissions. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
23. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
24. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
25. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
26. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and



a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. In case any interested party is not satisfied on the claim of confidentiality the party can raise an objection on the claim within seven (7) days of receiving the non-confidential version of the documents.

27. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied, the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or in summary form, it may disregard such information.
28. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
29. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

#### **I. Inspection of Public File**

30. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other interested parties. Failure to circulate non-confidential version of submissions/response/information might lead to consideration of an interested party as non-cooperative.

#### **J. Non-cooperation**

31. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority